इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 431]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 सितम्बर 2013-भाद्र 25, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 8181-260-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 सितम्बर, 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३४ सन् २०१३.

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१३

[दिनांक ७ सितम्बर, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', में दिनांक १६ सितम्बर २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१३ है.

२. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १६१ के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थातः—

''१६२(१) धारा २४८ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्रों में की, जो कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं, राज्य सरकार की ऐसी भूमि जो कि अनाधिकृत कब्जे में हो, कलक्टर द्वारा उस सीमा तक तथा प्रीमियम और पट्टे के भाटक की ऐसी राशि का भुगतान कर दिए जाने पर, जैसी कि विहित की जाए, कृषि और

आवासीय प्रयोजनों के लिए सरकारी पट्टेधारी हक में व्ययन किया जाएगा.

संक्षिप्त नाम.

धारा १६२ का अन्तः स्थापन.

अनाधिकृत कब्जे में की कतिपय भूमियों का व्ययन. (२) यदि उपधारा (१) के अधीन किसी भूमि का व्ययन कर दिया जाता है तो ऐसी भूमि के संबंध में धारा २४८ के अधीन किसी राजस्व न्यायालय में लंबित समस्त कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी.''.

धारा २५८ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा २५८ में उपधारा (२) में, खण्ड (छत्तीस) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(सैंतीस) धारा १६२ के अधीन भूमि के व्ययन की रीति तथा प्रीमियम और पट्टे के भाटक की राशि;''.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 8182-260-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 34 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 34 OF 2013.

THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2013

[Received the assent of the Governor on the 7th September, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 16th September, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

- 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2013.
- Insertion of Section 162.
- 2. After Section 161 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) (hereinafter referred to as the principal Act), the following new Section shall be inserted, namely:—

Disposal of certain land in unauthorised possession.

- "162. (1) Notwithstanding anything contained in Section 248 and subject to rules made in this behalf, any land belonging to the State Government in such areas as notified in the official Gazette by the State Government, which is in unauthorised possession, shall be disposed of for agricultural and residential purposes, in government lessee rights by the Collector to such extent and on payment of such amount of premium and lease rent as may be prescribed.
 - (2) If any land is disposed of under sub-section (1), all proceedings pending in any revenue court under section 248 in respect of such land shall stand abated.".

Amendment of Section 258.

- 3. In Section 258 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (xxxvi), the following new clause shall be inserted, namely:—
 - "(xxxvii) the manner of disposal of land and amount of premium and lease rent to be paid under Section 162;".